

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

संख्या जी-2-573/दस-2009-216-79

लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषय-बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शर्तों का निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर अग्रोहरतादारी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी 2-2017/दस-2008-216-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य कराया गया है। संदर्भित अवकाशों की स्वीकृति के सामान्य में शर्तें निम्नवत् हैं :-

बाल्य देखभाल अवकाश

(I) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(II) बाल्य देखभाल अवकाश उपाजित अवकाश की भांति माना जायेगा और उसी तरह स्वीकृत किया जायेगा।

(III) उपाजित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के गध्य पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।

(IV) बाल्य देखभाल अवकाश तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित महिला कर्मचारी के लेखे में उपाजित अवकाश अवशेष न हो।

दत्तक ग्रहण अवकाश

(1) ऐसी महिला राजकीय सेवक जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो, को सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी। प्रसूति अवकाश एवं दत्तक ग्रहण अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 को प्रसूति अवकाश का उपयोग कर रही थी।

(2) महिला सरकारी सेवक को उक्त अवकाश अवधि के दौरान वह पूर्ण वेतन देय होगा जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो।

(3) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ गिलाया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश के निरन्तरता में महिला सेवकों को यदि आवेदन किया जाता है, तो वगवृत्ती तौर पर गोद लिये जाने के दिनांक को बच्चे की आयु घटाते हुये अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुमन्य अन्य अवकाश, बिना दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि को जोड़े, निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा :-

(क) यदि किसी महिला सेवक को गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित बच्चे हों, तो यह अवकाश उसे स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त एक वर्ष तक की अवधि के अवकाश की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार होगी :-

(ब) दत्तक ग्रहण अवकाश पर बच्चे की आयु एक माह से कम होने पर एक वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(ग) बच्चे की आयु छः माह या अधिक परन्तु सात माह से कम होने पर छः माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(ज) चच्चे की आयु नौ माह या अधिक परन्तु दश माह से कम होने पर तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा संकता है।

(5) दत्तक ग्रहण अवकाश को छुट्टी के लेखे के नाम नहीं लिखा जायेगा।

2-जिन महिला कर्मचारियों को शर्तों के अभाव में शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है उनके बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को उन्हें देय उपार्जित अवकाश में परिवर्तित माना जायेगा।

3-शासनादेश संख्या जी-2-2017/दस-2008-217-79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4-उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

5-संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

सनस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या जी-2-573(1)/दस-2009-216-79, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3-सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।
- 5-सचिवालय के सभस्त अनुभाग।
- 6-वित्त पद माप दण्ड निर्धारण अनुभाग।

आज्ञा से,
वी० एन० दीक्षित,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 152 सा० वित्त-26-3-2009-(2362)--10,000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफरोट)।

J-1716
19.12.08

8-प्रमुखी दलमोरी 88

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (साामान्य) अनुभाग-2
संख्या-जी-2-2017/दस-2000-216/79
लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-झाप

विषय:- प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति



कार्यालय-झाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79, दिनांक 04-6-1999 द्वारा रखायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन शक्ति 2000 की संरक्तियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमत्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनों व्यवस्थाएँ लागू की गयी संतानों के मामलों में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2- अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भित कार्यालय झाप दिनांक 04-6-1999 को अतिक्रमण करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक, लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमत्य कराये जाने की सहरी स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह दोनों व्यवस्थाएँ (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) लागू की गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी।

3- उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/आवधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0रसी0, ए0आई0रसी0टी0ई0, आई0रसी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणोत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

- 4- उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2000 से प्रभावी होंगे।
- 6- संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

प्रमुख (अनुम. शिक्ष) प्रमुख सचिव

सेवा में
संगस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

1952
11.4
26
धर पुलिस महानिदेशक
ए0 प्र0 पुलिस मुख्यालय
लखनऊ।
16/12/08

सूचना-प्रमुख

संख्या-जी-2-2017(1)/दरा-2008-216/79 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, आडिट प्रभाग एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, वित्त विभाग, लखनऊ।
- 7- सचिवालय के सम्स्त अनुभाग।
- 8- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में।)
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

अध्याय 13
प्रसूति अवकाश

उत्तर प्रदेश मूल विधम 101 के अन्तर्गत सम्मिलित द्वारा बनाये गये नियम

153-—किसी महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूति अवकाश ऐसे पूर्ण दिनों पर जो वह इस प्रकार के अवकाश पर जाने के दिनों का आह्वित कर रही हो विधवाप्रायास द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा किये हुए विहित शर्तों प्रत्योजित की जाये निम्नलिखित के अधीन रखते हुए, स्वीकृत किया जा सकता—

1—प्रसूतिकावस्था के मासों में, प्रसूति अवकाश जबकि यह तब के प्रारम्भ के दिनों के तीन मास तक हो सकती है।

प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा :-

परन्तु यह भी कि यदि महिला सेवक के दो या अधिक भीत बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा यदि उसे उसी प्रकार अवकाश अन्यथा अनुमत्त है। फिर भी यदि सरकारी सेवक के दो स्वीकृत बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी अस्थायी से से स्वीकृत हो या 1 कलांग या अपंग हो या अगर में किसी अस्थायी से से जन्म हो जन्म या विकलांग हो जन्म तो उसे अवकाश के रूप में, इस शर्त पर कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाये, त, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमत्त नहीं होगा जब तक कि इस विधम के अधीन स्वीकृत पहिले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनों के बीच या तब से पूर्व जो अवकाश स्वीकृत न हो जाये।

2—प्राधान्य के मासों में, जिसके अन्तर्गत राज्य भी है, प्रसूति अवकाश की अवधि सम्बन्धित महिला सरकारी सेवक अधिनियम 1971 की धारा 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 के अधीन तब तक हो सकती है, जबकी वे इन धारा के अधीन तब के साथ प्राविक्त विधिवत प्रमाण प्रस्तुत करें।

दिनांको : 1—दिनांक 1 से मासिक।

दिनांको : 2—प्राधान्य के दिनों में, जिस पर कि नि 1 राज्य स्वीकृत अधिनियम, 1971 के उपबन्ध 101 से, इस विधम के अधीन दिए जा सकने वाले दिनों के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन तब तक अवकाश के लिए अनुमत्त लाभ की प्राप्ति की जाये कर दिया जायेगा।

दिनांको : 3—प्राधान्य के दिनों के अधिनियम, 1971 के अधीन उक्त तब प्राधान्य का प्राधान्य समाप्त जायेगा।

आयकरादेश सं० सी-4-1203/1978 216/1979 दिनांक : जुलाई 1981 द्वारा तब सामान्य अनुभाग-4 के विधम सं० 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन के आदेश प्रसूति दिनों को सम्मिलित हैं :-

आयकरादेश सं० सी-4-1753/दस 78-2 6-65,डी० सी०, 1 नॉकित 20 जून, 1978 द्वारा महिला सरकारी सेवकों को स्वीकार किये जाने वाले प्रसूति अवकाश संबंधी दि. को तब उदाहर दिया गया था और विधम सं० 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 153 तथा 154 में आवश्यक संशोधन के आदेश प्रसूति दिनों को तब आदेशों और नियमों के अन्तर्गत अन्य प्राधान्यों के अधीन रखते हुए महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन बार तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

1. अधिनियम सं० सी-4-484/दस-90-216-79 दिनांक 3-5-79 0 द्वारा प्रतिस्थापित।

2—अधिकांशकालीन जो बार कहने का विदेश हुआ है कि उन्मुख कार्यालय ज्ञान, दिनांकित 20 जून, 1978 के अनुक्रम में सरकारत महोदय ने अपने वह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो से अधिक बच्चे जीवित हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही उसे अन्यथा ऐसा अवकाश देन हो। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि किसी महिला सरकारी सेवक को जीवित दोनों बच्चों में से कोई एकान जन से हो विकलांग/अंगु हो अथवा बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो जाये तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपूर्व सेवाशाला में तीन बार को अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एक और बच्चा होने तक प्रसूति अवकाश अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

3—उक्त आदेश उन कार्यालय ज्ञान के जारी होने के दिनांक से लागू होंगे, किन्तु जिन मामलों में इससे पहले वर्तमान विधियों के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा चुका है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

154. प्रसूति छुट्टी को छुट्टी के श्रेणी के नाम नहीं लिखा जायेगा और उसे किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर न सकना है किन्तु प्रसूति छुट्टी के क्रम में प्रार्थित कोई भी छुट्टी तभी स्वीकृत की जा सकती है जब प्रार्थना-पत्र के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्र हो।

टिप्पणी 1—प्रसूति छुट्टी के क्रम में छुट्टी देने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाली किसी महिला राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को यह दिनांकित कि वह उन समस्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के समान जो चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत छुट्टी का लिए प्रार्थना-पत्र देते हैं, सहानुक्त नियम 89-92 के अनुसार किसी चिकित्सा समिति का अधीन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, जो उक्त कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए समस्त अधिकारी द्वारा सहानुक्त नियम 93 के अधीन उसे छूट न दे दी जाये।

टिप्पणी 2—प्रसूति छुट्टी के क्रम में नियमित छुट्टी भी नवजात शिशु को बीमारी की दशाओं में इस प्रतिबन्ध के अधीन रखे हुए स्वीकृत की जा सकती है कि महिला सरकारी कर्मचारी, प्रार्थित चिकित्सक/अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देख-भाल की आवश्यकता है और शिशु के नल वक्की उपस्थिति नितांग आवश्यक है।

टिप्पणी 3—अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की गई छुट्टी को अन्वेषित करने की अनुमति जारी करने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।

154. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind, but any leave applied for in continuation of maternity leave may be granted only if the request is supported by a medical certificate.

154. Maternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with leave of any other kind.

Note 1. A female gazetted government servant applying for grant of leave in continuation of maternity leave, should, like all gazetted government servants applying for leave on medical certificate produce the required certificate from a medical committee in accordance with Subsidiary Rules 89-92, unless this requirement is relaxed under Subsidiary Rule 93 by the authority competent to grant leave.

Note 1. Deleted.

सूत्र 1

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificate from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.

सूत्र 2

Note 2. Regular leave in continuation of maternity leave may also be granted in case of illness of a newlyborn baby subject to the female government servant producing a medical certificate from the Authorised Medical Attendant to the effect that the ailing baby warrants the mother's personal attention and that her presence at the baby's side is absolutely necessary.

Note 3. In the case of temporary government servants the leave granted under Rule 153 and 154 shall not extend beyond the period the appointment is likely to last.